**श्री चरण सिंह :** अगर आप मुझे तफसील से बतलावें कि फलां जगह पालन नहीं हो रहा है तो मैं जरूर तहकीकात करवाऊंगा ।

MR. SPEAKER: I am not allowing any more questions on this since I am allowing a two-hour discussion, I would not allow any further question.

**परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी**

*649. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग में विभिन्न वर्गों के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी है; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को भरने में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) परमाणु ऊर्जा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

| वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|
| क | 28 | 3 |
| ख | 17 | 2 |
| ग | 1061 | 130 |
| | 929 | 160 |

(ख) इस दिशा में उठाये गये विभिन्न कदम हैं :—

(क) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और शैक्षिक योग्यताओं में छूट देना ।

(ख) अर्हक परीक्षाओं और व्यवसायिक परीक्षण के लिए निर्धारित स्तर को नीचा रखना ।

(ग) पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव को कम रखना ।

(घ) कुछ पदों के लिए अलग से विज्ञापन देना ।

(ङ) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा-भत्ता देना ।

**श्री राम विलास पासवान :** मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी विभिन्न श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उस में हरिजनों का प्रतिशत क्या है ? क्या प्रधान मंत्री जी यह समझ रहे हैं, कि वह आरक्षित कोटे से कम है ?

**श्री मोरारजी देसाई :** मेरे पास संख्या तो नहीं है, लेकिन चाहिए तो मैं मंगा कर दे सकता हूं । परन्तु पूरी संख्या जिस क्रमांक से होनी चाहिए वह नहीं है । चूंकि रिसर्च आर्गेनाइजेशन में इस तरीके से बहुत छूट देने से काम ही बिगड़ता है इसलिए वह भी देखना पड़ता है । मगर इस में रहकर जितना प्रयत्न हो सकता है, किया जाता है ।

**श्री राम विलास पासवान :** जो क्वेश्चन पूछने की मंशा थी, वह तो इस से पूरी नहीं हुई, क्योंकि तमाम सदन को मालूम है कि यह डाटा लेने का मतलब ही यह था कि

हरिजनों और आदिवासियों की वहां कितनी संख्या है और टोटल संख्या कर्मचारियों की कितनी है, इस से पता लग जायेगा कि हरिजन और आदिवासियों का कितना प्रतिशत वहां है ।

इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि उस में आप क्या कर सकते हैं, चूंकि आप प्रधान मंत्री हैं और सरकार में सर्वोच्च पद पर हैं, जब आपके डिपार्टमेंट में कड़ाई होगी तभी यह काम हो सकता है । एक जनरल तरीका है कि हरिजन और आदिवासियों में योग्य उम्मीदवार नहीं हैं, यह कह दिया जाता है । लेकिन ऐसी बात नहीं है । आप तो जानते ही हैं कि जो योग्य होते हैं, उन को भी अयोग्य करार दे दिया जाता है । उन में जितनी क्वालिफिकेशंस चाहियें, वह भी रहती हैं और चौड़ाई, लम्बाई और मोटाई भी रहती है, लेकिन तमाम चीजों के रहने के बावजूद भी उनको छोड़ दिया जाता है ।

मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सदन को आश्वासन देंगे कि उन के विभाग में, कोई निश्चित समय बांधकर, चाहे एक दो साल ही हो, जो समुचित कोटे आरक्षित किए हुए हैं, और जो बकाया रह गये है, उन की पूर्ति कर दी जायेगी ?

**श्री मोरारजी देसाई** : ऊंचाई, छोटाई, और मोटाई का कोई सवाल इसमें है ही नहीं । सवाल तो कार्य क्षमता का है । मैंने कहा कि इस के लिये लायक उम्मीदवार पूरी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, वह भी एक दिक्कत है । जो कैपेसिटी चाहिये, उसके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि स्पेशल रिसर्च का काम है और उस में हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, फिर भी सम्माननीय सदस्य कहते हैं कि कई लोग हैं, उन को नहीं रखा जाता है, तो उनकी तफसील मुझे दे दें, मैं जरूर गहराई से तपास करूंगा और जो कुछ भी अन्याय होगा, उसे दूर कर दूंगा । मगर मुझसे जो आश्वासन चाहते हैं, वह नहीं दे सकता हूं ।

**श्री राम विलास पासवान** : मेरे कहने का अर्थ यह था कि जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, क्या सरकार अलग कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन इंस्टीट्यूशन्स के काबिल उन को भी बनाया जाये, उन को प्रशिक्षण दिया जाये, जिस से वह काबिल हो सकें ?

**श्री द्वारिका नाथ तिवारी** : नित्य प्रति ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इससे मालूम होता है कि कुछ ढिलाई है उनका कोटा देने में । यहां जबाब दिया जाता है चूंकि स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं इसलिए उनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती है । मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध पूर्वक जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा तरीका निकाला गया है कि जो लोग स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं, उनको प्रशिक्षण देकर स्टैंडर्ड पर लाया जाये और उनकी बहाली हो ? हर डिपार्टमेंट में जो हरिजन और आदिवासी स्टैंडर्ड पर नहीं आते, उनको स्पेशल प्रशिक्षण देकर अगर स्टैंडर्ड पर लाया जाये तो हम समझते हैं कि मामला हल हो जायेगा ।

**श्री मोरारजी देसाई** : अगर नौकरी में लेने के बाद जरूरी हो, तो वह भी किया जायेगा, मगर उस से पहले जो लोग इस के लिये तैयार हैं, उन्हें ज्यादा प्रशिक्षण देने के लिए हम इन्तजाम करेंगे— हो भी रहा है, और ज्यादा भी करेंगे ।

**श्री राम कंवार बेरवा** : जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो जिम्मेदार लोगों की तरफ से पार्लियामेंट के मेम्बरों को कहा जाता है कि सिलेक्शन में पक्षपात बरता जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भर्ती करने के लिए सिलेक्शन कमेटी में शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई मेम्बर बैठता है, या नहीं; यदि नहीं, तो क्या प्रधान मंत्री जी इस की व्यवस्था करेंगे, ताकि अफ़सरों पर कोई दोषारोपण न हो सके ?

**श्री मोरारजी देसाई** : पब्लिक सर्विस कमीशन में तो है ही । ख़ास तौर से देखा जाता है कि वह रहे ।

**एक माननीय सदस्य** : ट्राइबल नहीं है ।

**श्री मोरारजी देसाई** : अगर नहीं है, तो हम उस की व्यवस्था भी जरूर करेंगे । अगर सिलेक्शन कमेटियों में नहीं है, तो मैं जरूर देखने का प्रयत्न करूंगा ।

### Committee on Turkman Gate Incidents

*650. SHRI F. H. MOHSIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a fact finding Committee has been constituted to go into the Turkman Gate incidents;

(b) if so, the constitution of the Committee and the terms of reference;

(c) whether the Committee will not have as wide powers as a Commission of Enquiry under the Commission of Enquiry Act; and

(d) the reasons for not appointing a Commission or ordering a judicial enquiry into the incident?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). The Government of India have appointed a fact finding Committee in respect of programmes for slum clearance, removal of encroachments, demolitions, beautification etc., carried out in the Union Territory of Delhi during the emergency including the demolitions and the firing incident in the Turkman Gate area in April, 1976.

The Committee consists of the following:—

(1) Shri R. C. Jain, I.A.S.

(2) Shri D. K. Agarwal, I.P.S.

The terms of reference of the Committee are to collect all the available information in respect of the following matters:—

(i) the circumstances in which programmes for slum clearance, removal of encroachments, demolitions, beautification etc. in the Union Territory of Delhi were decided upon and came to be given high priority during the period following proclamation of emergency on 25th June, 1975;

(ii) the manner in which such programmes were implemented and allegations in relation thereto;

(iii) the nature of the law and order problems which arose as a result of the implementation of such programmes; and

(iv) in regard to the Turkman Gate area, in addition to (i), (ii) and (iii) above, the specific facts relating to the firing that took place on the 19th April, 1976 with particular reference to:—

(a) the circumstances which necessitated the use of force;

(b) the quantum of force used;

(c) the number of deaths as a result of the firing;

(d) instances, if any, of looting of property or dishonouring of women in their houses or in the locality on that occasion;

(e) the arrangements made for providing medical relief to the